



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 1992/चैत्र 11, 1914

No. 150] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 1992/CHAITRA 11, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

सा.का.नि. 384(अ) :—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनडू द्वारा निम्नलिखित नानिका में क्रम सं. 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को बम्बई पत्तन के न्यायो मंडल में न्यायो निगुण करतो है तथा उक्त नानिका में क्रम सं. 12 से 17 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गये नानियों के स्थान में प्रतिनित्ति करतो है।

नालिका

- |  |   |
|--|---|
| 1. अध्यक्ष                                       | —   |
| 2. उपाध्यक्ष                                     | —   |
| 3. सचिव (I), शहरी विकास, महाराष्ट्र सरकार।       | महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनित्ति करने के लिये        |
| 4. संयुक्त सचिव (पत्तन), जल-भूतल परिवहन मंत्रालय | जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनित्ति करने के लिये |

5. सीमा शुल्क कलक्टर, बम्बई	सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिये
6. चोफ स्टाफ ऑफिसर मार्फल फ्लैग ऑफिसर क्रमांडिंग, महाराष्ट्र क्षेत्र	रक्षा सेवाओं-नीगेमा का प्रतिनिधित्व करने के लिये
7. मुख्य परिचालन अधीक्षक, सेंट्रल रेलवे, बम्बई	भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिये
8. निदेशक (मार्केटिंग प्रभाग), भारतीय तेल निगम लि., बम्बई	भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिये
9. संयुक्त प्रबंध निदेशक (साईनर सेवाएं), भारतीय नौवहन निगम लि., बम्बई	भारतीय नौवहन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिये
10. डा. शान्ति पटेल	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये
11. श्री एस आर कुलकर्णी	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये
12. श्री रामू एस देशोरा	ग्राल इंडिया शिपर्स कौंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिये
13. श्री बी एम पाखे	इंडियन नेशनल शिपआनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिये
14. श्री ए एस कसलीवाल	महाराष्ट्र चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिये
15. श्री आर श्री निवासन	बम्बई कस्टम हाउस एजेन्ट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिये
16. श्री दिनेश के लाल	बम्बई चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिये
17. श्री बी बी डबास	बम्बई स्टीवीडोर्स एसोसिएशन लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिये

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. पी टी-18011/3/91-पी टी]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R. 384 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) read with Sub-Section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Bombay and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 17 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE—1

1. Chairman	
2. Dy. Chairman	
3. Secretary (I), Urban Development, Govt. of Maharashtra.	—Representing Govt. of Maharashtra.
4. Joint Secretary (Ports), M/o Surface Transport.	—Representing M/o Surface Transport.
5. Collector of Customs, Bombay.	—Representing Customs Department.
6. Chief Staff Officer C/o Flag Officer Commanding, Maharashtra Area.	—Representing Defence Services.—Navy.
7. Chief Operating Superintendent, Central Railway, Bombay.	—Representing Indian Railways.
8. Director (Marketing Division), Indian Oil Corporation Ltd., Bombay.	—Representing Indian Oil Corp. Ltd.
9. Joint Managing Director (Liner Services), Shipping Corporation of India, Bombay.	—Representing Shipping Corporation of India Ltd.
10. Dr. Shanti Patel	—Representing the Labour employed in the Port.
11. Sh. S.R. Kulkarni	—Representing the Labour employed in the Port.

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 12. Sh. Ramu S. Deora | —Representing the All India Shippers Council.                   |
| 13. Sh. V.M. Parekh   | —Representing the Indian National Shipowners Association.       |
| 14. Sh. A.S. Kasliwal | —Representing the Maharashtra Chamber of Commerce and Industry. |
| 15. Sh. R. Srinivasan | —Representing the Bombay Customs House Agents Association.      |
| 16. Sh. Dinesh K. Lal | —Representing the Bombay Chamber of Commerce and Industry.      |
| 17. Sh. B.B. Dubash   | —Representing the Bombay Stevedores Association Ltd.            |

2. This notification shall come into force on the 1st date of April, 1992.

[F.No. PT-18011/3/91-PT  
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

सा.का.नि. 385 (अ) :—केंद्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 14 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कलकत्ता पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम संख्या 15 से 19 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गये न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

### तालिका

- |  |   |
|--|---|
| 1. अध्यक्ष   | —   |
| 2. उपाध्यक्ष<br>(कलकत्ता पत्तन न्यास)                                      | —   |
| 3. उपाध्यक्ष (हृल्दिया डाक काम्प्लेक्स)                                    | —   |
| 4. सचिव, परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार                                  | पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये                   |
| 5. सीमा शुल्क कलक्टर, कलकत्ता  | सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिये                     |
| 6. संयुक्त सचिव (पत्तन), जल-भूतल परिवहन मंत्रालय                           | जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिये              |
| 7. नेबल आफिसर इन्चार्ज, कलकत्ता  | रक्षा सेवाएं—नौसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिये                  |
| 8. प्रमुख परिचालन अधीक्षक, दक्षिणी पूर्वी रेलवे                            | भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिये                         |
| 9. श्री हेम लाल चटर्जी   | पत्तन के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये                    |
| 10. श्री जानकी मुर्जी  | पत्तन के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये                    |
| 11. क्षेत्रीय महाप्रबंधक, भारतीय नौबहन निगम लि., कलकत्ता                   | भारतीय नौबहन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिये                |
| 12. भारतीय तेल निगम लि., कलकत्ता   | भारतीय तेल निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिये                  |
| 13. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता | केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिये |
| 14. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, भारतीय सड़क निर्माण निगम                      | भारतीय सड़क निर्माण निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिये             |
| 15. श्री संजय मैन  | ग्राल इंडिया शिपर्स कौंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिये           |
| 16. श्री एच पी नोपानी  | नौबहन हित एसोसिएशन, कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिये          |
| 17. श्री जे पी चौधरी   | इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिये            |

18. श्री डी एस बोस बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिये  
 19. श्री समीर कुमार घोष बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिये

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी होगी ।

[फा.सं. पी टी-18011/4/91-पी टी]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R. 385 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoint the persons mentioned against serial numbers 1 to 14 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Calcutta and notifies the persons mentioned against serial numbers 15 to 19 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE

1. Chairman	—
2. Dy. Chairman (Calcutta Port Trust)	—
3. Dy. Chairman (Haldia Dock Complex)	—
4. Secretary, Transport Deptt., Govt. of West Bengal.	—Representing the Govt. of West Bengal.
5. Collector of Customs, Calcutta.	—Representing Customs Department.
6. Joint Secretary (Ports), Ministry of Surface Transport.	—Representing Ministry of Surface Transport.
7. Naval Officer-in-Charge, Calcutta.	—Representing Defence Services—Navy.
8. Chief Operating Superintendent, South Eastern Railway.	—Representing Indian Railways.
9. Shri Hemlal Chatterjee	—Representing the labour employed in the Port.
10. Shri Janaki Mukherjee	—Representing the labour employed in the Port.
11. Regional General Manager, Shipping Corporation of India Ltd., Calcutta.	—Representing Shipping Corporation of India Ltd.
12. General Manager, Indian Oil Corporation Ltd., Calcutta.	—Representing Indian Oil Corporation Ltd.
13. Chairman-Cum Managing Director, Central Inland Water Transport Corporation Ltd.	—Representing the Central Inland Water Transport Corporation Ltd., Calcutta.
14. Chairman-Cum-Managing Director, Indian Road Construction Corporation.	—Representing the Indian Road Construction Corporation Ltd.
15. Shri Sanjoy Sen	—Representing the All India Shippers Council.
16. Shri H.P. Nopany	—Representing the Association of Shipping Interests, Calcutta.
17. Shri J.P. Chowdhary	—Representing the Indian Chamber of Commerce
18. Shri D.S. Bose	—Representing the Bengal Chamber of Commerce & Industry, Calcutta.
19. Shri Samir Kumar Ghosh	—Representing the Bengal National Chamber of Commerce & Industry, Calcutta.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[File No. PT-18011/4/91-PT]  
 ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

सा.का.नि. 386(अ) :—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम संख्या 1 से 12 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कोचीन पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम नं. 13 से 16 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड के चुने हुए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

## तालिका

1. अध्यक्ष	---
2. उपाध्यक्ष	---
3. पत्तनों के प्रभारी सचिव केरल सरकार	केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये
4. संयुक्त सचिव, नौवहन जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिये
5. सीमा शुल्क समाहर्ता कोचीन	सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिये
6. नौवहन आफिसर इन्चार्ज कोचीन	रक्षा सेवाओं—नौसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिये
7. प्रभागीय रेलवे प्रबन्धक, दक्षिणी रेलवे, त्रिवेंद्रम प्रभाग	भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिये
8. अध्यक्ष, मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथोरिटी	मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथोरिटी का प्रतिनिधित्व करने के लिये
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कोचीन रिफाइनरीज लि.	कोचीन रिफाइनरीज लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिये
10. श्री वयलर रवि	पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये
11. श्री के पी एस मैनन	पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये
12. श्री एम ए पदमसी	'अन्य हितों' का प्रतिनिधित्व करने के लिये
13. श्री डी एस बिष्ट	भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिये
14. श्री के जे जोसे	कोचीन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिये
15. श्री रियाज अहमद	इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिये
16. श्री के ए वर्गीज	साउथ वैस्टर्न इंडिया शिपर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिये

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से लागू होगी।

[फा.सं. पी टी-18011/5/91-नी टी]  
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

Ne Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R. 386(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sec. (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government here by appoints the persons mentioned serial numbers 1 to 12 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Cochin and notifies the persons mentioned against serial numbers 13 to 16 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

## TABLE

1. Chairman	—
2. Dy. Chairman	—
3. Secretary in Charge of Ports, Govt. of Kerala	—Representing the Govt. of Kerala.
4. Joint Secretary (Shipping) Min. of Surface Transport	—Representing the Min. of Surface Transport.
5. Collector of Customs, Cochin	—Representing the Customs Department.
6. Naval Officer-in-Charge, Cochin	—Representing Defence Services, Navy.
7. Divisional Railway Manager, Southern Rly., Trivandram Division	—Representing the Indian Railways.
8. Chairman, Marine Products Export Development Authority	—Representing the Marine Products Export Development Authority
9. Chairman & Managing Director, Cochin Refineries Ltd.	—Representing the Cochin Refineries Ltd.
10. Shri Vyalar Ravi	—Representing the Labour employed in the Port.
11. Shri K.P.S. Menon	—Representing the Labour employed in the Port.
12. Shri M.A. Padamsee	—Representing 'Other Interests'.
13. Shri D.S. Bist	—Representing the Indian National Shipowners Association.

14. Shri K.J. Jose —Representing the Cochin Chamber of Commerce & Industry.  
 15. Shri Riaz Ahmed —Representing the Indian Chamber of Commerce & Industry.  
 16. Shri K.A. Varghese —Representing the South Western India Shippers Association.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1972.

[F.No.PT—18011/5/91—PT]  
 ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1972

सा.का.नि. 387(अ).—केन्द्र सरकार, महापरतन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम संख्या 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कांडला परतन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम संख्या 12 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड के चुने हुए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है अर्थात् :—

### तालिका

- |  |   |
|--|---|
| 1. अध्यक्ष   | —   |
| 2. उपाध्यक्ष   | —   |
| 3. सचिव,<br>सड़क तथा भवन विभाग,<br>गुजरात सरकार        | —गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए   |
| 4. निदेशक (नौवहन),<br>जल-भूतल परिवहन मंत्रालय          | —जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए                              |
| 5. सीमा शुल्क कलक्टर, कांडला                           | —सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए                                     |
| 6. नेवल आफिसर इन्चार्ज, सौराष्ट्र                      | —रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए                                |
| 7. क्षेत्रीय अधीक्षक पश्चिमी रेलवे, गांधी धाम          | —भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए   |
| 8. कार्यकारी निदेशक, तेल समन्वय समिति, नई दिल्ली       | —भारतीय तेल निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए                                  |
| 9. मुख्य विपणन प्रबन्धक,<br>राज्य व्यापार निगम, कांडला | —राज्य व्यापार निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए                                   |
| 10. श्री मनोहर जी. कोतवाल                              | —परतन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए                                |
| 11. श्री एम के अश्वनी                                  | —परतन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए                                |
| 12. श्री चम्पालाल जी, पारख                             | —गांधीधाम चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए              |
| 13. श्री एस एस रांगनेकर                                | —भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए                      |
| 14. श्री जगदीश एस सावेरी                               | —गुजरात चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए                |
| 15. श्री मनफूल चोपड़ा                                  | —पंजाब-हरियाणा-दिल्ली चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1972 से लागू होगी।

[फा. सं. पी टी—18011/6/91—पी टी]  
 अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R.378(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely —

## TABLE

1. Chairman	—
2. Dy. Chairman	—
3. Secretary, Roads & Building Deptt., Govt. of Gujarat.	—Representing Govt. of Gujarat.
4. Director (Shipping), Min. of Surface Transport.	—Representing Min. of Surface Transport.
5. Collector of Customs, Kandla.	—Representing Customs Department.
6. Naval Officer-in-Charge, Saurashtra.	—Representing Defence Services (Navy).
7. Area Superintendent, Western Railways, Gandhidham.	—Representing Indian Railways.
8. Executive Director, Oil Co-ordination Committee, New Delhi.	—Representing Indian Oil Corporation Ltd.
9. Chief Marketing Manager, State Trading Corporation, Kandla.	—Representing State Trading Corporation.
10. Shri Manohar G. Kotwal.	—Representing the Labour employed in the Port.
11. Shri M.K. Aswani.	—Representing the Labour employed in the Port.
12. Shri Champalal G. Parakh.	—Representing the Gandhidham Chamber of Commerce and Industry.
13. Shri S.S. Rangnekar.	—Representing the Indian National Shipowners Association.
14. Shri Jagdish S. Jhaveri.	—Representing the Gujarat Chamber of Commerce and Industry.
15. Shri Man Phool Chopra.	—Representing the Punjab-Haryana-Delhi Chamber of Commerce and Industry.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[File No. PT—18011/6/91—PT]  
ASHOKE JOSHI, Jr. Secy.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

सा. का. नि. 388(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (e) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 11 तथा 17 से 19 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को मद्रास पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम सं. 12 से 19 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है। यथा :—

## तालिका

1. अध्यक्ष	—
2. उपाध्यक्ष	—
3. परिवहन आयुक्त एवं सचिव, तमिलनाडू सरकार	—तमिलनाडू सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
4. अपर सचिव व वित्त सलाहकार	—जल-सूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
5. सीमा शुल्क कलक्टर, मद्रास	—सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
6. नेवल आफीसर इन्चार्ज, मद्रास	—रक्षा सेवाओं—नौसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
7. मुख्य प्रचालन अधीक्षक, दक्षिणी रेलवे, मद्रास	—भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
8. श्री एस.सी.सी. एन्थोनी पिल्ले	—पत्तन पर नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
9. श्री जी. कृष्णन	

10. श्री एस आर वेंकटाचलम	—अन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
11. संयुक्त प्रबन्धक निदेशक (तटीय एवं यात्री सेवाएं), भारतीय नौबहन निगम	—भा. नौ. नि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
12. श्री के. शंकर	—इंडियन नेशनल शिपग्रोनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
13. श्री बी. आर. दुजारी	—भारत इंडिया शिपर्स कौंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
14. श्री एम. बालाजी	—हिन्दुस्तान चेम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
15. श्री के. सी. रमन	—मद्रास चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
16. श्री अधिवन सी. एम. उषाह	—सदर्न इंडिया चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
17. अध्यक्ष व प्रबन्धक निदेशक, मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड, मद्रास	—मद्रास रिफाइनरी लि., मद्रास का प्रतिनिधित्व करने के लिए
18. मेम्बर जेनेरेशन तमिलनाडू विद्युत बोर्ड	—तमिलनाडू विद्युत बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
19. महाप्रबन्धक, एम. एम. टी. सी. आफ इंडिया लि.	—खनिज एवं धातु व्यापार निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. पी टी-18011-7/91-पीटी]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R.388(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 and 17 to 19 in the table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Madras and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 16, in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

#### TABLE

1. Chairman	—
2. Dy. Chairman	—
3. Commissioner & Secy. (Transport Deptt.) Govt., of Tamilnadu.	—Representing the Govt. of Tamil Nadu.
4. Additional Secretary and F.A.	—Representing the Min. of Surface Transport.
5. Collector of Customs, Madras.	—Representing Customs Department.
6. Naval Officer-in-Charge, Madras.	—Representing the Defence Services (Navy).
7. Chief Operating Superintendent, Southern Railway, Madras.	—Representing the Indian Railways.
8. Shri S.C.C. Anthony Pillai.	—Representing Labour employed in the port.
9. Shri G. Krishnan	—Representing 'Other Interests'.
10. Sh. S.R. Venkatachalam	—Representing 'Other Interests'.
11. Joint Managing Director (Coastal and Passenger Services), Shipping Corporation of India.	—Representing the Shipping Corporation of India.



- |  |  |
|--|--|
| 12. Shri K. Shankar  | —Representing the Indian National Shipowners' Association.   |
| 13. Shri B.R. Dujari   | — Representing the All India Shippers' Council.              |
| 14. Shri M. Balaji   | —Representing Hindustan Chamber of Commerce, Madras.         |
| 15. Shri C. Raman  | —Representing Madras Chamber of Commerce & Industry.         |
| 16. Shri Ashwin C.M. Uthaiiah  | —Representing Southern India Chambers of Commerce & Industry |
| 17. Chairman & Managing Director, Madras Refineries Limited, Madras. | —Representing Madras Refineries Limited.                     |
| 18. Member Generation, Tamil Nadu, Electricity Board.                | —Representing Tamil Nadu Electricity Board.                  |
| 19. General Manager, Minerals & Metals Trading Corporation.          | —Representing Minerals & Metals Trading Corporation.         |
2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[File No. PT-18011-7/91—PT]  
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

सा. का. नि. 389 (अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 12 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को मुरगांव पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम संख्या 13 से 17 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, प्रभातः—

### तालिका

- |  |   |
|--|---|
| 1. अध्यक्ष   | —   |
| 2. उपाध्यक्ष   | —   |
| 3. सचिव (आई डब्ल्यू टी) गोवा सरकार                             | —गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।   |
| 4. निदेशक (पी टी)  | —जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।                              |
| 5. सीमा शुल्क कलक्टर, गोवा                                     | —सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।                                     |
| 6. गोवा क्षेत्र के फ्लैग आफिसर कमान का चीफस्टाफ आफिसर ।        | —रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।                                |
| 7. प्रभागीय रेलवे प्रबन्धक, दक्षिण मध्य रेलवे, हुबली           | —भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।   |
| 8. महाप्रबन्धक, पश्चिमी क्षेत्र, भारतीय तेल निगम, बम्बई        | —भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।                                      |
| 9. उपमहाप्रबन्धक, मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, गोवा | —मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 10. श्री एस आर कुलकर्णी  | —पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।                               |
| 11. श्री एस के शेट्टी  | —पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।                               |
| 12. श्री मुकेश जैन   | —अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।   |
| 13. प्रतिनिधि, मुरगांव शिप्स एजेंट्स एसोसिएशन ।                | —मुरगांव शिप्स एजेंट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।                       |
| 14. श्री एस आर टक्कर   | —इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।                       |

15. श्री शिवनंद की. सालमाओकर —गोवा धातु ग्रयस्क निर्यातक मंत्र, गोवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
18. श्री रामनाथ जी खरे —गोवा चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
17. श्री पी. सुरेश नायक —गोवा बार्ज ओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. पी टी-18011/8/91—पी टी]  
प्रशोक जोशी, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R. 389(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 12 in the table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Mormugao and notifies the persons mentioned against serial numbers 13 to 17, in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

#### TABLE

1. Chairman	—
2. Dy. Chairman	—
3. Secretary (IWT) Government of Goa.	—Representing the Government of Goa.
4. Director (PT)	—Representing the Ministry of Surface Transport.
5. Collector of Customs, Goa.	—Representing Deptt. of Customs.
6. Chief Staff Officer to the Flag Officer Commanding, Goa, Area.	—Representing Defence Services—Navy.
7. Divisional Railway Manager, South Central Railways, Hubli.	—Representing Indian Railways.
8. General Manager, Western Region, Indian Oil Corporation, Bombay.	—Representing Indian Oil Corporation.
9. Deputy General Manager, Mineral and Metals Trading Corporation, Goa.	—Representing Mineral and Metals Trading Corporation of India Ltd., Goa.
10. Shri S.R. Kulkarni	—Representing the labour employed in the Port.
11. Shri S.K. Shetye	—Representing the labour employed in the Port.
12. Shri Mukesh Jain	—Representing 'Other Interests'.
13. Representative, Mormugao Ship's Agents Association.	—Representing Mormugao Ships' Agents Association.
14. Shri S.R. Thakker	—Representing the Indian National Shipowners Association.
15. Shri Shivanand V. Salgaocar	—Representing the Goa Mineral Ore Exporters' Association, Goa.
16. Shri Ramnath G. Khare	—Representing the Goa Chamber of Commerce & Industry, Goa.
17. Shri P. Suresh Nayak	—Representing the Goa Barge Owners' Association, Goa.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[File No. PT-18011-8/91—PT]  
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

सा. का. नि. 390(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन ब्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) को धारा 3 को उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 12 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को पारादीप पत्तन के न्यासियों के मंडल में न्यासी नियुक्त करती हैं तथा उक्त तालिका में क्रम सं. 13 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने हुए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

## तालिका

1. अध्यक्ष	—
2. उपाध्यक्ष	—
3. सचिव, उड़ीसा सरकार	—उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए
4. विकास सलाहकार (पत्तन)	—जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
5. सीमा शुल्क कलक्टर, भुवनेश्वर	—सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
6. प्रभागीय रेलवे प्रबन्धक, खुर्दा प्रभाग, दक्षिण पूर्वी रेलवे	—भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
7. नेवल आफिसर ईचार्ज	—रक्षा सेवाएं (नौ सेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
8. श्री गुप्ताकर मंत्री	—पत्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
9. श्री पचनन कामूनगो	—पत्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
10. महाप्रबन्धक, एम. एम. टी. सी., कटक।	—खनिज एवं धातु व्यापार निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
11. प्रमुख अभियंता (कोयला) उमिलनाट्ट बिजली बोर्ड	—उमिलनाट्ट बिजली बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
12. भारतीय तेल निगम के प्रतिनिधि	—भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
13. श्री जी. बी. के. श्रीराममूर्ति	—इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
14. श्री बी. पी. मोहन्ती	—उड़ीसा के चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
15. श्री एन पटनायक	—उत्कल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 में प्रभावो होगी।

[फा. सं. पी टी-18011/9/91-पी टी]  
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R.390(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 12 in the table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Paradip and notifies the persons mentioned against serial numbers 13 to 15, in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

## TABLE

1. Chairman	—
2. Dy. Chairman	—
3. Secretary, Government of Orissa.	—Representing the Government of Orissa.
4. Development Adviser (P)	—Representing the Ministry of Surface Transport.
5. Collector of Customs, Bhubaneswar.	—Representing the Customs Department.
6. Divisional Railway Manager, Khurda Division, South-Eastern Railway.	—Representing the Indian Railways.
7. Naval Officer-in-Charge	—Representing the Defence Services (Navy).

- |  |  |
|--|--|
| 8. Shri Sudhakar Mantry  | —Representing the labour employed in the Port.             |
| 9. Shri Panchanan Kanungo  | —Representing the labour employed in the port.             |
| 10. General Manager, Mineral and Metal Trading Corporation, Cuttack. | —Representing the Mineral and Metal Trading Corporation.   |
| 11. Chief Engineer (Coal) Tamil Nadu Electricity Board.              | —Representing the Tamil Nadu Electricity Board.            |
| 12. Representative of Indian Oil Corporation.                        | —Representing the Indian Oil Corporation.                  |
| 13. Shri G.V.K. Srirama Murty  | —Representing the Indian National Shipowners' Association. |
| 14. Shri B.P. Mohanty  | —Representing the Orissa Chamber of Commerce and Industry. |
| 15. Shri N. Patnaik  | —Representing the Utkal Chamber of Commerce and Industry.  |
2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[File No. PI-18011/9/91-PI]  
ASHOK JOSHI, Jr. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

सा. का. नि. 391(अ).—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 14 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को विशाखापत्तनम पत्तन न्यायियों के मंडल में न्यायो नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम सं. 15 से 17 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यायियों के रू में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

### तालिका

- |  |   |
|--|---|
| 1. अध्यक्ष   | —   |
| 2. उपाध्यक्ष   | —   |
| 3. प्रमुख सचिव, परिवहन सड़क, और निर्माण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार    | —आन्ध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।  |
| 1. उप सचिव (पी डी) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय                           | —जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।  |
| 5. सीमा शुल्क के अतिरिक्त कलक्टर, विशाखापत्तनम                       | —सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।   |
| 6. प्रभागीय रेलवे प्रबन्धक, थालटेयर विशाखापत्तनम दक्षिण पूर्वी रेलवे | —भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।   |
| 7. नेवल आफिसर इन्चार्ज, विशाखापत्तनम                                 | —रक्षा सेवाएं—नायना का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।   |
| 8. महाप्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., विशाखापत्तनम   | —हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।                           |
| 9. उप महाप्रबन्धक, एम एम टी सी, विशाखापत्तनम                         | —मिनरल्स एंड मैटल ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।              |
| 10. मुख्य अभियंता (कोयला) तमिलनाडु विजिली बोर्ड                      | —तमिलनाडु विजिली बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।  |
| 11. श्री जी. के. शर्मा   | —पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।   |
| 12. श्री बी बी रामा राव  | —पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।   |
| 13. श्री के एल एन राजू, व्यावसायिक विस्तीय विशेषज्ञ                  | —“अन्य हितों” का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।   |
| 14. श्री वीरा सत्य वेंकट वीरास्वामी व्यावसायिक प्रबंधक               | —“अन्य हितों” का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।   |
| 15. श्री एम अप्पाराव   | —फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश चैम्बर कामर्स एंड इन्डस्ट्री, हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |

16. श्री बी एम वी रेड्डी ---विशाखापत्तनम चैम्बर्स ऑफ कामर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
17. श्री जी पट्टाभिरामय्या ---इंडियन नेगेशन गिड ओकर्स एनोविएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. पी टी-18011/10/91-नो टी]  
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R.391(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 14 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and notifies the persons mentioned against serial numbers 15 to 17 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

#### TABLE

- |   |   |
|---|---|
| 1. Chairman   | —   |
| 2. Dy. Chairman   | —   |
| 3. Principal Secretary Transport, Road, Building Deptt., Govt. of Andhra Pradesh. | —Representing the Govt. of Andhra Pradesh.  |
| 4. Deputy Secy (PD)   | —Representing the M/s Surface Transport.  |
| 5. Addl. Collector of Customs, Visakhapatnam.                                     | —Representing the Customs Dept.   |
| 6. Divisional Railway Manager Waltair, South Eastern Railways.                    | —Representing the Indian Railways.  |
| 7. Naval Officer-in-Charge, Visakhapatnam.  | —Representing Defence Services—Navy.  |
| 8. General Manager, Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Visakhapatnam.                 | —Representing the Hindustan Petroleum Corporation Ltd.                                    |
| 9. Dy. General Manager, MMTC, Visakhapatnam.                                      | —Representing the Minerals & Metals Trading Corporation of India Ltd. (MMTC).             |
| 10. Chief Engineer (Coal) Tamil Nadu Electricity Board.                           | —Representing the Tamil Nadu Electricity Board.   |
| 11. Sh. D.K. Sharma   | —Representing the Labour employed in the Port.  |
| 12. Su. V.V. Rama Rao   | —Representing the Labour employed in the Port.  |
| 13. Sh. K.L.N. Raju, Professional Financial Expert.                               | —Representing 'Other Interests'.  |
| 14. Sh. Veera Satya Venkata Veeraswamy Professional Manager.                      | —Representing 'Other Interests'.  |
| 15. Sh. M. Appa Rao   | —Representing the Federation of Andhra Pradesh Chamber of Commerce & Industry, Hyderabad. |
| 16. Sh. V.B.V. Reddy  | —Representing the Visakhapatnam Chamber of Commerce, Vizag.                               |
| 17. Sh. G. Pattabhi Ramayya   | —Representing the Indian National Shipowners Association.                                 |

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No.PT—18011/10/91—PT]  
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

